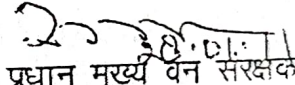


कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 10364 दिनांक 21-12-1992 द्वारा रणथम्भौर बाघ परियोजना में स्थिति जोगी महल फोरेस्ट रेस्ट हाउस पर्यटकों के लिये बन्द रहेगा और जोगी महल में अब केवल रणथम्भौर बाघ परियोजना के प्रबन्धन एवं रख रखाव से सम्बन्धी अधिकारी ही ठहर सकेंगे, का आदेश प्रसारित किया गया था।

उक्त आदेश के क्रम में जोगी महल में अब रणथम्भौर बाघ परियोजना के प्रबन्धन एवं रख रखाव से सम्बन्धित निम्न अधिकारी ठहर सकेंगे :

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार।
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान।
5. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान।
6. वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना।
7. उप वन संरक्षक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर।


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
 राजस्थान जयपुर
 दिनांक जनवरी, 2011

क्रमांक एफ 3 (57) तक-1/मुवजीप्र/98/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 15(12)वन/2001 दिनांक 23-12-2010 क्रम में प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार एनेक्सी-5, बीकानेर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) कार्यालय हाजा।
5. वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, कोटा।
6. जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर।
7. उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक, (कोर एरिया) रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, सवाई माधोपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

**Government of Rajasthan
Forest Department**

No.PA/ACSF/2017/01-05

Jaipur, Dated 26th April, 2017

Chief Wildlife Warden,
Rajasthan,
Jaipur

Sub: Restoration/conservation of Jogi Mahal in RTR.

In reference to the discussions held on the subject, it is hereby directed that:

1. A restoration/conservation plan for Jogi Mahal shall be prepared with the help of a conservation architect and, after obtaining Government approval, work on this plan shall be started immediately and completed before the ensuing rainy season.
2. Meanwhile, except for the officials or agencies engaged in restoration/conservation of Jogi Mahal or management of the park, no tourists/visitors will be allowed to enter Jogi Mahal premises without prior clearance of ACS(Forests). The office order of CWLW dated 28.1.2011, authorizing the officials specified therein to stay at Jogi Mahal, will also be held in abeyance.
3. Field Director will be responsible to ensure strict compliance of these instructions. Any violations will be viewed seriously. If considered necessary, a physical barrier may also be put in place.
4. After restoration/conservation works are completed, the entry of tourists/visitors into Jogi Mahal will be regulated in the manner to be specified separately.



(Nihal Chand Goel)

Additional Chief Secretary

Copy to:

1. Pr. Secretary/Pr.ODS/OSD(G) to Hon'ble CM.
2. SA to Hon'ble Minister, Forests.
3. Secretary, Forest.
4. PCCF (HOFF) along with his note on file (No.F3(57) तक्र-1/CWLW/1998/) dated 13.02.2017.
5. Field Director, RTR, Sawai Madhopur.



Additional Chief Secretary